:: न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा जिला–डूँगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारीः– विवेक गुर्जर, RAS

प्रकरण सख्याः–36 / 2023 दायर दिनांकः–01.09.2023

1. श्री पोपटलाल पिता प्रभुलाल लबाना जाति लबाना निवासी नयागांव बांकडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

––प्रार्थी

बनाम

1. श्री विपुल पिता वेला डोडीयार जाति भील उम्र वयस्क निवासी जोरावरपुरा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2. श्री गोपाल पिता वेला डोडीयार जाति भील उम्र वयस्क निवासी जोरावरपुरा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3. श्री जयन्ति पिता वेला डोडीयार जाति भील उम्र वयस्क निवासी जोरावरपुरा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
4. श्री रमेश पिता वेला डोडीयार जाति भील उम्र वयस्क निवासी जोरावरपुरा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
5. भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम
सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार प्रार्थी की ओर से।
2. पेरोकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक 13 / 10 / 2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गांव नया गांव बांकडा व अप्रार्थी सख्या एक से चार गांव जोरावरपूरा तहसील सीमलवाडा के स्थायी निवासी है। प्रार्थी खेतीबाडी वमजदुरी कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा जोरावरपूरा में खाता संख्या 310, खसरा नम्बर 871 / 720 कुल खसरा 1 कुल रकबा 1619 हैक्टेयर होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थना पत्र कारण आज से 20 दिन पूर्व अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त की मौजा जोरावरपूरा में खाता संख्या 310, खसरा नम्बर 871 / 720 कुल खसरा 1 कुल रकबा 1619 हैक्टेयर मे जबरन अतिक्रमण करने की नियत से उक्त आराजी मे धुस आये तथा जमीन हडपने की धमकी देने लगे तो प्रार्थी पुत्र ने मौके पर जाकर भुमि प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

की खातेदारी होने की बात की तो अप्रार्थीगण ने मौके पर भुमी अपनी बताकर सीमा विवाद करने लगे। जिस पर प्रार्थी ने कहा कि वह वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है ऐसे में तुम्हे कोई झंगडा करने का हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी व नक्शा दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार ही नहीं हुए तथा अप्रार्थीगण ने जबरन वादग्रस्त आराजी का अपनी बताकर विवाद किया जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 23.05.2.23 को श्रीमान तहसिलदार साहब सीमलवाडा से सीमाकंन का आदेश करवाया लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर विवाद करने से सिमांकन हो पाने व पूर्व की निशानदेही होने के बावजुद अप्रार्थीगण द्वारा भुमी की सीमा बिन्दुओ को खुर्द बूर्द कर दिया। जिससे विवाद बढ़ रहा है ऐसे में प्रार्थी की खातेदारी आराजी की पत्थर गढी कर सीमाकीत किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कब्जा होकर काश्त करता हुआ आ रहा है। प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी व नक्शा दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार ही नहीं हुए। प्रार्थी की आराजी में सीमा विवाद करने लगे। प्रार्थीगण की मौजा जोरावरपूरा के खाता संख्या 310, खसरा नम्बर 871/720 कुल खसरा 1 कुल रकबा 1619 हैक्टेयर वादग्रस्त आराजी का पत्थर गढी कराने आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा अपने जवाब में, प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार होने का तथ्य स्वीकार किया गया है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण किसी का कोई कब्जा नहीं है एवं वर्तमान में उक्त भूमि पर जंगली बबूल की झाड़ियां उगी हुई होना तथा वर्तमान में भूमि पड़त होना बताया है। शेष तथ्यों को प्रार्थी द्वारा स्वयं के स्तर से सिद्ध कराना बताया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण, उक्त खातेदारी भूमि की पत्थर गढी, पत्थर लगा कर, स्थाई सीमा चिन्हों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ कराना चाह रहे है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र न्यायसंगत होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

::आदेश::

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी की गांव मौजा जोरावरपुरा के जमाबन्दी खाता संख्या 310 खसरा संख्या 871/720 खेत किता 1 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसका सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीगण पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है। अतः तहसीलदार सीमलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की गांव मौजा जोरावरपुरा के जमाबन्दी खाता संख्या 310 खसरा संख्या 871/720 खेत किता 1 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही के दौरान निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित होवें:–

1. पत्थरगढ़ी की फीस प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवायें।
2. पत्थरगढ़ी की कार्यवाही से पूर्व, पडौसी खातेदारान को विधिवत् सूचित कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति विधिक प्रक्रियानुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पादित करें।
3. पत्थरगढ़ी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को कब्जा हस्तांतरण न करें।
4. मौके पर कब्जा सम्बन्धी वाद है तो इस आदेश की पालना में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करें।
5. कब्जा सम्बन्धी मामलों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में पृथक् से प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

तहसीलदार सीमलवाड़ा आदेश की पालना कर रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब पेश करें। तहसीलदार तहसील सीमलवाड़ा, थानाधिकारी पुलिस थाना धम्बोला को तहरीर जारी कर, माकुल पुलिस जाब्ता प्राप्त करें।

(विवेक गुर्जर, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उक्त निर्णय आज दिनांक 13/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा